

**विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डॉ. मान सिंह
यादव, मा. सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर।**

<u>क्र.</u>	<u>प्रश्न</u>	<u>उत्तर</u>
6	(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के अन्दर जहरीली शराब से हो रही मौतों की घटनाओं की रोक-थाम हेतु कोई कार्ययोजना बनाने पर विचार करेंगे?	जी हों। अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोक-थाम के लिए आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के अपराध निरोधक क्षेत्रों में तैनात आबकारी स्टाफ द्वारा निरंतर प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रभार स्तर पर कार्यरत आबकारी की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के निर्देश पर पृथक-पृथक तथा जनपदों के सहयोगार्थ अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के उन्मूलन के लिये कार्य किया जाता है। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिये समय-समय पर विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाता है। प्रवर्तन अभियान को प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रशासन, पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीमों गठित कर अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है।
	(ख) यदि हों, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	गत वर्ष 2021-22 में 07 विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये गये, जिसके अन्तर्गत कच्ची/अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध 44,067 अभियोग पंजीकृत करते हुये 18,27,990 ली. कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी। चलित वर्ष 2022-23 में अब तक पाँच विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये गये। प्रथम अभियान दिनांक 21.04.2022 से 05.05.2022 तक चलाया गया, जिसमें 4,069 अभियोग पंजीकृत कर 1,18,367 ली. कच्ची/अवैध शराब की बरामद की गयी। दूसरा

प्रवर्तन अभियान दिनांक 21.06.2022 से 05.07.2022 तक चलाया गया, जिसमें 4,278 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 1,17,771 ली. कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी। तीसरा अभियान दिनांक 16.08.2022 से 30.08.2022 तक चलाया गया, जिसमें 4,627 अभियोग पंजीकृत कर 1,26,233 ली. कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी। चौथा अभियान दिनांक 01.10.2022 से 10.10.2022 तक चलाया गया, जिसमें 2,481 अभियोग पंजीकृत कर 62,601 ली. कच्ची/अवैध शराब की बरामदगी की गयी तथा पाँचवाँ अभियान दिनांक 21.10.2022 से 30.10.2022 तक चलाया गया, जिसमें 2,506 अभियोग पंजीकृत कर 62,084 ली. कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

उक्त के अतिरिक्त आम जनमानस को अवैध शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जनपदों में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पैम्पलेट वितरित कर तथा दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से भी जन-जागरूक किया जाता है। जन-सामान्य से अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु आबकारी मुख्यालय, प्रयागराज में टोल-फ्री नम्बर 14405 एवं व्हाट्सएप नम्बर-9454466019, 24x7 क्रियाशील है। उक्त टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त टोल-फ्री नम्बर को मदिरा की दुकानों पर अंकित/चस्पा कराया गया। इन पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर भी कार्यवाही की जाती है। अवैध शराब से होने वाली जनहानि एवं राजस्व की क्षति पर कड़ाई से नियंत्रण करने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910

(यथासंशोधित, 2018) के दण्डक प्राविधानों को और कड़ा करते हुए जुर्माने की धनराशि में कई गुना वृद्धि की गयी है तथा अधिनियम में नई धारा-60(क) जोड़ते हुए अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास/मृत्युदण्ड तक का प्राविधान किया गया।

आबकारी विभाग द्वारा मदिरा की गुणवत्ता के दृष्टिगत ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत शराब की बोतलों आदि पर बार कोड चस्पा कर वैध मदिरा की पहचान उपभोक्ताओं के लिए आसान कर दिया गया है, ताकि दुकानों से अवैध मदिरा की बिक्री न हो सके।

इसी क्रम में मिथाइल अल्कोहल के उपभोग से होने वाली दुःखद घटनाओं की रोकथाम के लिए प्वायजन्स एक्ट, 1991 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली, 1994 यथासंशोधित, 2014 के अंतर्गत मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने व विक्रय करने के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन करते हुए शासन द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रश्न नहीं उठता।

नितिन अग्रवाल
आबकारी मंत्री।